(17)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4428/पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 19.12.2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 115/2012-13/अपील.

दि ग्वालियर शुगर कम्पनी लिमिटेड डबरा
जिला ग्वालियर द्वारा वरिष्ठ विधि अधिकारी
एवं मुख्त्यारआम श्री प्रभात पाण्डेय .....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी
डबरा जिला ग्वालियर, म.प्र. .....अनावेदक

श्री आर.डी. शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री अजय चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/8/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 19.12.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि राजस्व निरीक्षक डबरा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि डबरा स्थित प्रश्नाधीन भूमियां, जो कि राजस्व अभिलेख में आवेदक कम्पनी के भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है, का उपयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु व्यवसाय के रूप में किया जा रहा है। अत: राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर वर्ष 2001-02 से 2011-12 तक 7,20,000/- भू-भाटक वार्षिक दर से कुल 79,20,000/- रूपये एवं प्रीमियम 12,14,167/- रूपये निर्धारण एवं गाईड लाईन वर्ष 2011-12 के अनुसार विवादित भूमि का बाजार मूल्य 1,56,00,000/- रूपये का 20 प्रतिशत 30,00,000/- अर्थदण्ड प्रस्तावित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण

क्रमांक 48/2011-12/अ-2 दर्ज कर दिनांक 24-5-2012 को आदेश पारित कर संहिता की धारा 59(2) के अनुसार भूभाटक रूपये 86,40,000/- वार्षिक से वर्ष 2001-02 से 2011-12 तक निरंतर देय होना एवं संहिता की धारा 59(5) के अन्तर्गत प्रीमियम रूपये 12,13,277/- कायम करते हुए बिना अनुज्ञा के भूमि का प्रयोजन परिवर्तित किये जाने के कारण संहिता की धारा 172(4) के तहत रूपये 2,53,44,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। कलेक्टर द्वारा दिनांक 06.08.2012 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, ग्वालियर के समक्ष दिनांक 12-12-2012 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई, साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 19.12.2012 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त करते हुए अपील समाप्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक कम्पनी को तत्कालीन जमींदार/जागीरदार द्वारा शक्कर कारखाना लगाने हेतु पट्टे पर प्रदाय की गई थी और शासन द्वारा ही वर्ष 1941-42 में संहिता के लागू होने के पूर्व गैर कृषि प्रयोजन हेतु परिवर्तित किया गया था । आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के प्रयोजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए संहिता के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । यह कहा गया कि न तो राजस्व निरीक्षक द्वारा कोई स्थल निरीक्षण किया गया है और न ही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्वयं कोई जांच की गई और मात्र प्रस्तावित प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा दिनांक 17-7-12 को तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था एवं दिनांक 6-8-12 को बिना किसी नियत दिनांक के आदेश पारित किया गया है, जिसकी कोई सूचना आवेदक को नहीं दी गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया कि कलेक्टर के विवादित आदेश की खबर स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित होने के उपरान्त आवेदक को कलेक्टर के आदेश की जानकारी प्राप्त हुई और जानकारी के दिनांक से अधीनस्थ न्यायालय में समयावधि में अपील प्रसतुत की गई थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कलेक्टर के आदेश को आवेदक के अभिभाषक द्वारा दिनांक 26-8-12 को नोट किये जाने के

आधार पर अपील समय बाह्य मानकर निरस्त की गई है, जबकि उक्त नोटिंग किसके द्वारा की गई है, स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आवेदक के अभिभाषक द्वारा कोई नोटिंग नहीं की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान शासन अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जानबूझकर विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है, जबकि उसे कलेक्टर के आदेश की जानकारी पूर्व से ही थी । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा विलम्ब के संबंध में न तो सद्भाविक कारण दर्शाया गया है और न ही प्रत्येक दिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण दिया गया है । इस आधार पर कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धान्तों के अनुरूप आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्क्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-8-2012 को आवेदक द्वारा दिनांक 26-8-12 को नोट किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को कलेक्टर के आदेश की जानकारी दिनांक 26-8-2012 को हो चुकी थी, इसके उपरान्त भी आवेदक द्वारा आयुक्त के समक्ष दिनांक 12-12-2012 को विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है । आवेदक द्वारा कलेक्टर के आदेश की सत्यप्रतिलिपि हेतु दिनांक 24-11-2012 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि आवेदक का यह दायित्व था कि वह कलेक्टर के आदेश की जानकारी प्राप्त होने के पश्चात प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते एवं आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने के उपरान्त अविलम्ब अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत करते । अतः इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टान्तों के आलोक में आदेश पारित किया गया है, जो कि उचित होकर निगरानी में हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर संभागीय आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर